संख्या-9/2022/सामान्य-145/सैंतालीस-का-4-2022-2-ई.एम./2009

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/
विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष/मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग-4 लखनऊः दिनांकः 17 मई, 2022

विषयः सेवा संवर्गों की समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कर्मचारी संगठनों की मांगों/समस्याओं के सम्बन्ध में नियमित रूप से बैठकें आहूत कर, इनका निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-2-ई.एम./ 2009-का-4-2019, दिनांक 24 मई, 2019 एवं समसंख्यक शासनादेश दिनांक 27 जुलाई, 2021 द्वारा सुस्पष्ट निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2. विभिन्न कार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि मुख्य सचिव एवं अपर मुख्य सचिव, कार्मिक विभाग से समस्याओं के समाधान हेतु निरन्तर सम्पर्क करते हैं। ऐसे प्रकरण जिनका समाधान विभागाध्यक्ष या प्रशासकीय विभाग के स्तर पर किया जा सकता है, की नियमित समीक्षा कर निराकरण कराया जाना आवश्यक है।

3. अतः इस संबंध में मुझे पुनः यह कहने का निदेश हुआ है कि कर्मचारी संगठनों/ कर्मचारियों की मांगों एवं समस्याओं के संबंध में शासन के समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिवगण तथा विभागाध्यक्ष/मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारियों द्वारा अपने-अपने विभागों/जनपदों में मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों की समस्याओं/मांगों तथा कार्मिकों की व्यक्तिगत समस्याओं के निस्तारण हेतु प्रत्येक माह में कम से कम एक बार बैठक आयोजित कर उनका निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,
दुर्गा शंकर मिश्र
मुख्य सचिव।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिक्ली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in/ सत्यापित की जा सकती है